कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्ड़ल, रजौली

पत्रांक 883 रजौली, दिनांक 31/5/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्ड़ल, रजौली।

सेवा में,

Jaijeet Singh, Vill- Amri, Po- Sohaipur,
Ps- Muffasil, Dist- Gaya

विषयः **Dhamni Path To Sarmaspur, पैकेज सं0 BR-25R-451** का सतत पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य करने के संबंध में।

प्रसंगः एकरारनामा सं0 58 SBD/2014-15 दिनांक 21.01.2015 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 1498 दिनांक 03.12.2020 एवं पत्रांक 333 दिनांक 24.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि प्रासंगिक एकरारनामा के अनुसार आपके द्वारा पथों का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य कराया जाना है परन्तु आपके द्वारा एकरारित पथों का सतत अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है जो एकरारनामा का घोर उलंघन है।

अतः निदेश दिया जाता है कि पथों का अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अन्दर शुरू करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके एकरारनामा के **कंडिका 52** के तहत आपके एकरारनामा को विखंडित करते हुए आपके निबंधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा कर विभाग में अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी जायेगी तथा अनुरक्षण कार्य किसी अन्य माध्यम से कराकर इसकी वसूली एकरारनामा के **कंडिका 53** के आलोक में आपके जमा राशि से कर ली जायेगी।

अनुरक्षण कार्य तीन दिनों के अन्दर प्रारम्भ नहीं किये जाने पर कार्य का अंतिम मापी दिनांक **04.06.2021** को की जायेगी। मापी के समय आप स्वयं या आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि कार्य स्थल पर उपस्थित रहेंगे। आपकी अनुपस्थिति कि स्थिति में भी कार्य का मापी कर लिया जायेगा तथा भविष्य में इस संबंध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, रजौली।

Scanned with CamScanner